السنة

हज्ज , उम्रह व मस्जिदे नबवी

की जियारत संबंधित निर्देशिका

دليل الحاج والمعتمر

هندي

دليل الحاج والمعتمر
وزائر مسجد الرسول، صلى الله عليه وسلم

باللغة الهندية

تأليف:عبد العزيز بن باز رحمه الله

ترجمة: ذاكر حسين

مراجعة: مشتاق أحمد كريمي

دليل الحاج والمعتمر
وزائر مسجد الرسول ﷺ

हज्ज, उ़म्रह व मस्जिदे नबवी ﷺ की ज़ियारत संबंधित निर्देशिका

ترجمة: ذاكر حسين وراثة الله

अनुवादः ज़ाकिर हुसैन वरासतुल्लाह

सूचिपत्र

विषय	पृष्ठ
अनुवादक प्रवचन	4
भूमिका	6
महत्वपूर्ण अनुदेश	9
इस्लाम से वहिष्कार करनेवाली बातें	15
ह़ज्ज, उ़म्रह और मस्जिदे नबवी ﷺ की ज़ियारत	22
उ़म्रह का नियम	25
ह़ज्ज का विवरण	30
मुहरिम के लिए ज़रूरी बातें	36
केवल पुरुष के लिए निषिद्ध चीज़ें	38
मस्जिदे नबवी ﷺ की ज़ियारत	40
वह भूल-त्रुटि (ग़लतियाँ) जिन में कतिपय ह़ाजी लिप्त होते हैं	44
इह़राम की ग़लतियाँ	44
तवाफ़ की ग़लतियाँ	45
सई़ की ग़लतियाँ	47

अरफ़ात की ग़लतियाँ	48
मुज़्दलिफ़ा की ग़लतियाँ	49
रमी (कंकर मारने) की ग़लतियाँ	50
तवाफ़े विदा'अ की ग़लतियाँ	52
मस्जिदे नबवी ﷺ की ज़ियारत की ग़लतियाँ	53
हज्ज, उम्रह व मस्जिदे नबवी ﷺ की ज़ियारत संबंधित संक्षिप्त निर्देशिका	57
कतिपय दुआ	69

كلمة المترجم

अनुवादक प्रवचन

समस्त ता'रीफ़ व प्रशंसा उस महान ज़ात के लिए यथायोग्य है, जो सारे जहान का पालनहार है और अकेला इबादत का ह़क़्दार है। दुरूद व सलाम हो हमारे नबी मुह़म्मद बिन अ़ब्दुल्लाह पर और उनके परिवार-परिजन व अस्ह़ाब पर।

सऊ़दी अ़रब के चंद प्रवीण विद्वानों ने अ़रबी ज़बान में इस पुस्तिका की रचना की थी। और डाक्टर मुह़म्मद लुक़्मान सलफ़ी ने उर्दू ज़बान में इसका अनुवाद किया। अल्लाह तआ़ला उक्त सारे उलमा को उत्तम पुरस्कार प्रदान करे। ज़रूरत अनुभव करते हुए अल्लाह की तौफ़ीक़ से इसका हिन्दी अनुवाद मुसलमानों की सेवा में पेश कर रहा हूँ।

मैं अपने मुसलमान भाईओं की ख़िदमत में हिन्दी भाषा में (ह़ज्ज, उ़म्रह और मस्जिदे नबवी ﷺ की ज़ियारत संबंधित निर्देशिका) नामक पुस्तिका पेश करते हुए अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे यह

क्षुद्र सेवा करने की तौफ़ीक़ दी। यदि वह इस से उपकृत हुये तो मेरे श्रम की स्वार्थसिद्धी होगी इन्शाअल्लाह।

इन्सान भूल-त्रुटि का पुतला है। अतः सम्मानित पाठक की दृष्टि में कोई ग़लती आने पर सूचित करने की ग़ुज़ारिश है। अल्लाह तआला से दुआ है कि वह मेरी इस कोशिश को मेरे लिए आख़िरत का संबल बनाये। आमीन।

ज़ाकिर हुसैन वरासतुल्लाह

بسم الله الرحمن الرحيم

भूमिका

समस्त प्रशंसा केवल एक अल्लाह के लिए है। और दुरूद व सलाम हो उन पर जिनके बाद कोई नबी नहीं अर्थात हमारे नबी मुह़म्मद बिन अ़ब्दुल्लाह पर और उनके परिवार-परिजन व अस्ह़ाब पर।

अम्मा बादः

सम्मानित ह़ाजी भाईओ!

अस्सलामु अ़लैकुम व रह़मतुल्लाहि व बरकातुहु।

अल्लाह तआ़ला के मेहमान की ह़ैसियत से पवित्र नगर और पाक भूमि में आपका आना मुबारक हो। हम आपको स्वागतम (मरह़बा) कहते हैं।

अल्लाह के घर की ज़ियारत करनेवाले ह़ाजीयों की सेवा में यह संक्षिप्त निर्देशिका जिस में ह़ज्ज व उ़मह से संबंधित नियमावली व विधि-विधान बयान किये गये हैं, पेश करते हुए मज्लिस तौ़इया इस्लामिया अत्यांत ख़ुशी महसूस करती है।

आरंभ हम ने कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश मूलक (नसीह़त आमोज़) बातों से की है जो हम सब के लिए लाभदायक (मुफ़ीद) हैं। इस वक़्त हमारे सामने अल्लाह तआ़ला का यह फ़रमान है, जिसमें अल्लाह के बन्दों में से मुक्ति पानेवालों और दुनिया व आख़िरत में सफल होनेवालों के गुण (सिफ़ात) युँ बयान किये गये हैं:

﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (٣) سورة العصر

अर्थः ((आपस में वह लोग एक दुसरे को ह़क़ (सच) बातों की और सब्र की नसीह़त करते हैं।)) [सूरह अल-अ़स्रः ३] और साथ ही अल्लाह तआ़ला के इस फ़रमान पर अ़मल करना भी उद्देश्य (मक़्सूद) हैः

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (٢) سورة المائدة

अर्थः ((नेकी और तक़्वा (पर्हेज़गारी) के कामों में एक दुसरे की मदद करते रहो और नाफ़रमानी के कामों में एक दुसरे की मदद न करो।)) [सूरह अल-माइदाः २]

हमारी गुज़ारिश है कि आप ह़ज्ज शुरू करने से पहले इस पुस्तिका को ज़रूर पढ़ें ताकि इस फ़रीज़ा को अच्छी तरह अदा कर सकें। इस पुस्तिका में इन्शाअल्लाह आपको बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिल जायेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह हम सबके ह़ज्ज को क़बूल करे, हमारी कोशिश का अच्छा बदला दे और हमारे आ'माल नेक व मक़्बूल बनाये।

वस्सलामु अ़लैकुम व रह़मतुल्लाहि व बरकातुहु

महत्वपूर्ण अनुदेश

सम्मानित हाजी भाईओ!

अल्लाह का शुक्र है कि उसने आपको अपने घर और ह़रम की ज़ियारत की तौफ़ीक़ दी। हम दुआगो हैं कि अल्लाह हमारी नेकीयों को क़बूल करे और अज्र व सवाब को कई गुना करे।

हम यह नसीहतें पेश करते हुए दुआगो हैं कि अल्लाह हमारे ह़ज्ज क़बूल करे और तवाफ व सई़ का बेहतरीन बदला दे।

१- यह बात याद रखनी चाहिए कि आप एक पवित्र यात्रा पर अल्लाह के रास्ते में हिजरत की नियत से निकले हैं जिसकी बुनियाद तौहीद, निष्कपटता (खुलूसे नियत), अल्लाह की दा'वत पर लब्बैक और उसकी इताअ़त (आज्ञा पालन) पर है। इससे बड़ा किसी काम का अज्र नहीं कि ह़ज्जे मबरूर (ग्रहणीय ह़ज्ज) का बदला सिर्फ़ जन्नत है।

२- इस बात का ख़याल रहे कि शैतान आपके बीच भिन्नता (इख़्तिलाफ़) पैदा न कर दे। क्योंकि वह

तो ताक (घात) में बैठा हुआ शत्रु है। इस लिए अल्लाह की सन्तुष्टि के लिए एक दूसरे से महब्बत रखें, और लड़ाई-झगड़ा व अल्लाह की अवज्ञा (नाफ़रमानी) से बचते रहें। रसूलुल्लाह ﷺ का फ़रमान है:

((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ))

अर्थः ((तुम में से कोई व्यक्ति उस वक़्त तक मुमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वह बात पसन्द करे जो अपनी ज़ात के लिए पसन्द करता है।))

३- अगर दीनी मसायेल व ह़ज्ज के विषय में कोई समस्या पेश आये तो शिघ्र विद्वानों (उलमा) से संपर्क करें ताकि ज्ञान व रौशनी उपलब्ध हो। क़ुरआने पाक कहता है:

﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (٤٣) سورة النحل

अर्थः ((अगर तुम अज्ञात हो तो विद्वानों से पूछ लिया करो।)) [सूरह अन-नह़्लः ४३] और रसूलुल्लाह ﷺ का फ़रमान है:

((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ))

अर्थः ((जिसके लिए अल्लाह भलाई चाहता है उसे दीन की समझ प्रदान करता है।))

४- अल्लाह तआला ने कुछ कामों को हमारे लिए फ़र्ज़ और कुछ को मस्नून व मुस्तहब किया है। जो व्यक्ति फ़राइज़ (ईश्वरादिष्ट कर्मों) की पाबन्दी नहीं करता उसके मस्नून कार्यसमूह क़बूल नहीं होते। कतिपय हाजी इस हक़ीक़त को भूल जाते हैं और हजरे अस्वद को चुंबन देते, तवाफ़ में रमल करते, मक़ामे इब्राहीम के पीछे नमाज़ पढ़ते और ज़म्ज़म का पानी पीते समय दूसरे मुसलमान नर-नारी को कष्ट में डालते हैं, हालाँकि यह समस्त कार्य मस्नून हैं और मुमिनों को कष्ट में डालना हराम है। फिर हम क्यों सुन्नत पालन करने के लिए हराम सम्पादन करें? एक दूसरे को कष्ट में न डालना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अल्लाह आपको उत्तम बदला दे। विषय की अधिक विवरण के लिए निम्नलिखित बातें उल्लेखयोग्य हैं:

(क) मुसलमान के लिए यह उचित नहीं कि ह़रम में या किसी और स्थान में महिला के बग़ल में अथवा उसके पीछे नमाज़ पढ़े। अगर इस से बचना संभव है तो ऐसा करना उचित नहीं। लेकिन महिलायें मर्दों के पिछे नमाज़ पढ़ सकती हैं।

(ख) ह़रम शरीफ़ के द्वार और मार्गसमूह (गुज़रगाहें) मुसलमानों के रास्ते हैं, उनमें नमाज़ पढ़ना और रास्तों के बंद हो जाने का कारण बनना सह़ीह़ नहीं, चाहे जमाअ़त ही क्यों न छूटे जा रही हो।

(ग) का'बा घर के आस पास बैठने, उसके निकट नमाज़ अदा करने अथवा ह़जरे अस्वद और मक़ामे इब्राहीम के पास रुकने के कारण (विशेषकर भीड़ के समय) अगर लोगों को तवाफ़ करने में रुकावट पेश आती है तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। क्योंकि इस में साधारण मुसलमानों को हानी व कष्ट पहुँचानी है।

(घ) ह़जरे अस्वद को चुंबन देना सुन्नत है और मुसलमान का सम्मान फ़र्ज़ है। सुन्नत के कारण

फ़र्ज़ को नष्ट करना किसी तरह भी दुरुस्त नहीं। भीड़ के समय ह़जरे अस्वद की ओर इंगित करना और तक्बीर कहते हुए आगे बढ़ जाना ही काफ़ी होगा। तवाफ़ के स्थान से निकलने के लिए लाईनों को चीरना और लोगों को धक्के देना किसी तरह उचित नहीं। बल्कि लोगों के साथ चलते हुए आराम से निकल जाना चाहिए।

(ङ) रुकने यमानी के सामने होते वक़्त अगर भीड़ न हो तो 'बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अक्बर' कहकर केवल अपने दायें हाथ से स्पर्श करे, बोसा न दे। और अगर उसका स्पर्श करना कठिन हो तो छोड़कर तवाफ़ करता रहे और रुक्ने यमानी की ओर न इंगित करे और न उसके सामने आकर अल्लाहु अक्बर कहे, क्योंकि यह नबी ﷺ से प्रमाणित नहीं है। रुक्ने यमानी और ह़जरे अस्वद के बीच यह दुआ़ पढ़ना मुस्तह़ब है:

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (٢٠١) سورة البقرة

अर्थः ((ऐ हमारे पालनहार! हमें इस संसार में भलाई प्रदान कर और परलोक में भी भलाई प्रदान कर और हमें नरक की यातना से बचा ले।)) [सूरह अल-बक़रहः २०१]

और अन्त में हम समस्त हाजी भाईओं को अल्लाह की किताब क़ुरआन व रसूलुल्लाह ﷺ की सुन्नत के अनुसरण करने की नसीह़त करते हैं। अल्लाह तआ़ला का फ़रमान हैः

﴿وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (١٣٢) سورة آل عمران

अर्थः ((और अल्लाह और उसके रसूल की इ़ताअ़त (आज्ञा पालन) करो ताकि तुम उसकी रह़मत के ह़क़्दार बनो।)) [सूरह आलि इ़मानः १३२]

इस्लाम से बहिष्कार करनेवाली बातें:

इस्लामी भाईयो!

दस ऐसी बातें हैं जिन में से हर एक इन्सान को इस्लाम से बहिष्कार कर देती है, और जिनका इर्तिकाब अधिकांश लोगों से होता रहता है।

पहली बातः अल्लाह की इबादत में दूसरों को शरीक बनाना। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾

(٧٢) سورة المائدة

अर्थः ((जिसने अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक बनाया उस पर जन्नत ह़राम हो गई और उसका ठिकाना जहन्नम है, और ज़ालिमों का कोई मददगार न होगा।)) [सूरह अल-माइदाः ७२] मुर्दों को पुकारना, उनसे मदद प्रार्थना करना, नज़्र-नियाज़ देना और उनके नाम से ज़ब्ह करना अल्लाह की इबादत में शिर्क करने के अंतर्गत हैं।

दूसरी बातः जिसने अल्लाह और अपने बीच किसी को सिफ़ारिशी बनाया, उसे पुकारा और उससे

सिफ़ारिश की अपील की और उस पर भरोसा किया, वह बिल्इज्माअ़ (सर्व सम्मत रूप से) काफ़िर हो गया।

तीसरी बातः जिसने मुशरिकीन (अनेकेश्वर-वादीयों) को काफ़िर नहीं समझा या उनके कुफ़्र में संदेह किया और उनके धर्म को सहीह़ समझा वह काफ़िर हो गया।

चौथी बातः जिसने यह विश्वास (ए'तेक़ाद) रखा कि किसी और की राह नबी करीम ﷺ की राह से अधिक पूर्ण व बेहतर है, या यह कि किसी और का विचार (फ़ैसला) आप ﷺ के फ़ैसले से श्रेष्ठ है, जैसे वह लोग जो त़ाग़ूती त़ाक़तों के क़ानूनों को आपके क़ानून पर फ़ौक़ियत देते हैं, वह काफ़िर है। **उदाहरण स्वरूपः**

(क) यह विश्वास (ए'तिक़ाद) रखना कि इन्सानों के बनाये हुये क़ानून और जीवन व्यवस्था इस्लामी शरीअ़त से बेहतर (श्रेष्ठ) है, या यह कि बीसवीं शताब्दी में इस्लामी निज़ाम (पद्धति) लागू करना मुम्किन नहीं, अथवा यह कि मुसलमानों के

पतन का कारण इस्लाम था, अथवा यह कहना कि इस्लाम नाम है केवल उन शिक्षाओं का जो बंदे और अल्लाह के रिश्ते को स्पष्ट करता है, ज़िंदगी के अन्य विषय में उसका कोई दख़ल नहीं।

(ख) यह कहना कि चोर का हाथ काटना या विवाहित व्यभिचारी को संगसार (प्रस्ताराघात करके हत्या) करना वर्तमान युग के उपयोगी नहीं।

(ग) यह विश्वास रखना कि शर्ई मामले, अल्लाह के हुदूद (दंडविधि) या इनके अ़लावा उमूर (विषयों) में ग़ैर इस्लामी क़ानून के अनुसार फ़ैसला करना जायज़ है (यद्यपि उसका अ़क़ीदा न हो कि उक्त ग़ैर इस्लामी क़ानून इस्लामी शरीअ़त से बेहतर हैं) क्योंकि उम्मत के इज्माअ़ के अनुसार जिस चीज़ को अल्लाह ने ह़राम किया है, उसे उसने जायज़ कर दिया। और जो कोई अल्लाह के ह़राम किये हुये चीज़ों को -जो दीन के अनिवार्य अंश हैं, जैसे ज़िना, शराबख़ोरी, सूद और ग़ैर इस्लामी क़ानून लागू करना

इत्यादि- ह़लाल करेगा, वह सर्व सम्मत रूप से काफ़िर है।

पाँचवीं बातः जिस किसी ने रसूलुल्लाह ﷺ की लाई हुई बातों में से किसी बात को बुरा समझा वह काफ़िर हो गया। (चाहे वह उस पर अ़मल ही क्यों न करे) क्योंकि अल्लाह तआ़ला का फ़रमान हैः

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ (٩) سورة محمد

अर्थः ((यह इस लिए कि उन्हों ने बुरा समझा जो अल्लाह ने अवतीर्ण किया तो उसने उनके आ'माल को बर्बाद कर दिया।)) [सूरह मुह़म्मदः ९]

छठी बातः जिसने अल्लाह के दीन की किसी बात का या बदला (सवाब) व शास्ति (इक़ाब) का उपहास (मज़ाक़) किया वह काफ़िर हो गया अल्लाह तआ़ला के इस फ़रमान के अनुसारः

﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءونَ لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

(٦٥-٦٦) سورة التوبة

अर्थः (([ऐ नबी!] आप कह दीजिए कि तुम लोग अल्लाह, उसकी आयतों और उसके रसूल का मज़ाक़

उड़ाया करते थे। तुम बहाने न बनाओ, निःसंदेह तुम अपने ईमान लाने के बाद बेईमान हो गये।)) [सूरह अत-तौबाः ६५-६६]

सातवीं बातः जादू, पति व पत्नी के बीच घृणा सृष्टि करना, अथवा शैतानी साधनों से मनुष्य के हृदय में ऐसी वस्तु की आकांक्षा (ख़ाहिश) डाल देना, वास्तव में जिसे वह नहीं चाहता। अतः जो व्यक्ति ऐसा करेगा वह कुफ़्र के सीमा में प्रवेश कर जायेगा। अल्लाह तआला का फ़रमान हैः

﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ﴾ (١٠٢) سورة البقرة

अर्थः ((वह दोनों (फ़रिश्ते) किसी व्यक्ति को उस समय तक (जादू) न सिखाते थे जब तक वे यह न कह दें कि हम तो एक परीक्षा मात्र हैं, तू कुफ़्र न कर।)) [सूरह अल-बक़रहः १०२]

आठवीं बातः मुशरेकीन का समर्थन करना और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनकी मदद करनी। अल्लाह तआला ने फ़रमायाः

﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٥١) سورة المائدة

अर्थः ((तुम में से जो कोई भी इनसे मित्रता करे तो वह उनमें से है, अत्याचारियों को अल्लाह तआ़ला कदापि हिदायत नहीं देता।)) [सूरह अल-माइदाः ५१]

नवीं बातः जिसका यह अ़क़ीदा हो कि कतिपय लोगों को मुहम्मदी शरीअ़त के सीमा अतिक्रम करने की अनुमति होती है वह काफ़िर है। क़ुरआने करीम में है:

﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٨٥) سورة آل عمران

अर्थः ((और जो व्यक्ति इस्लाम के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म की खोज करे उसका धर्म मान्य नहीं होगा और वह आख़िरत में क्षतिग्रस्ताओं में होगा।)) [सूरह आलि इम्रानः ८५]

दसवीं बातः अल्लाह के दीन से विमुखता (ए'राज़) या किसी ऐसी बात से विमुखता जिसके बिना शुद्ध इस्लाम को पाना असंभव हो, (और विमुखता की यह सूरत होगी कि न उसे सीखने का

इच्छुक हो और न उस पर अ़मल करने का) इस्लाम से निकालकर कुफ़्र में पहुँचानेवाली बात है। क्योंकि अल्लाह तआ़ला का इर्शाद है:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾ (٢٢) سورة السجدة

अर्थः ((और उससे बढ़कर अत्याचारी कौन है जिसको अल्लाह तआ़ला की आयतों की याद दिलाई जाये तो वह उनसे मुख फेर ले, निश्चय हम अपराधीयों से बदला लेने वाले हैं।)) [सूरह अस-सज्दाः २२]

दुसरी जगह इर्शाद फ़रमायाः

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ﴾ (٣) سورة الأحقاف

अर्थः ((और काफ़िर लोग जिस वस्तु से डराये जाते हैं उस से मुख मोड़ लेते हैं।)) [सूरह अल-अह़क़ाफ़ः ३]

इस्लाम से बहिष्कार करने वाली बातों में मज़ाक़, हक़ीक़त व डर सभी बराबर हैं। केवल वह व्यक्ति अलग है जिसने कठिन विवशता (मजबूरी) की हालत में इन में से किसी का इर्तिकाब किया हो। हम अल्लाह के ग़ज़ब और सज़ा से पनाह मांगते हैं।

हज्ज, उम्रह और मस्जिदे नबवी ﷺ की ज़ियारत

मुसलमान भाईयो!

हज्ज तीन प्रकार का होता हैं: (१) तमत्तुअ, (२) क़िरान और (३) इफ़्राद।

तमत्तुअ हज्ज की ता'रीफ़ (परिचय): हज्ज के महिनों (शव्वाल, ज़ुल्क़े'दा और ज़ुल्हिज्जा के प्रथम दस दिनों) में उम्रह का इहराम बाँधना। उम्रह से फ़राग़त के बाद इहराम खोलकर प्रतीक्षा करना और फिर उसी साल आठवीं ज़ुल्हिज्जा को मक्का मुकर्रमा या उसके क़रीब से हज्ज का इहराम बाँधना।

क़िरान हज्ज की ता'रीफ़ (परिचय): हज्ज और उम्रह दोनों का एकसाथ इहराम बाँधना। ऐसी स्तिथि में हाजी क़ुर्बानी के दिन ही हज्ज और उम्रह दोनों से हलाल होगा। दूसरी सूरत यह है कि पहले तो उम्रह की नियत करे फिर तवाफ़ शुरु करने से पहले हज्ज की नियत भी उस में दाख़िल कर ले।

इफ़्राद ह़ज्ज की ता'रीफ़ (परिचय): केवल ह़ज्ज की नियत करना मीक़ात से, या अपने घर ही से अगर वह मीक़ात सीमा के अंदर हो, या मक्का मुकर्रमा से अगर वहाँ मुक़ीम हो। फिर अगर उसके पास क़ुर्बानी का जानवर है तो दसवीं तारीख तक इह़राम की ह़ालत में बाक़ी रहेगा। और अगर क़ुर्बानी का जानवर साथ नहीं लाया है तो ह़ज्ज की नियत को उ़म्रह में बदल देना जायज़ होगा। ऐसी अवस्था में तवाफ़ और सई़ के बाद बाल कटवाकर ह़लाल हो जायेगा। इस लिए कि जिन लोगों ने सिर्फ़ ह़ज्ज की नियत की और अपने साथ क़ुर्बानी का जानवर नहीं लाये थे, उनको अल्लाह के रसूल ﷺ ने यही हुक्म दिया था। इसी तरह अगर ह़ज्जे क़िरान की नियत करने वाले के पास क़ुर्बानी का जानवर नहीं है तो वह भी ह़ज्ज की नियत को उ़म्रह में बदल देगा। और सबसे अफ़ज़ल ह़ज्जे तमत्तुअ़ है उनके लिए जो क़ुर्बानी का जानवर साथ न लाया हो। इस लिए कि नबी

करीम ﷺ ने सहाबा किराम को ऐसा ही हुक्म दिया और ताकीद फ़रमाई।

उ़म्रह का नियम

मीक़ात पर पहुँचने के बाद स्नान (गुस्ल) करें और संभव हो तो सुगंध लगायें और फिर इहराम के कपड़े (लुंगी और चादर) पहन लें। बेहतर यह है कि दोनों कपड़े सफ़ेद हुँ। महिलायें किसी भी प्रकार का कपड़ा पहन सकती हैं, मगर शर्त यह है कि बेपर्दगी और शोभा प्रकाश न हो। और न ही उन कपड़ों में मर्दों से या काफ़िर औरतों के पोशाक से कोई अनुरूपता (मुशाबहत) हो। फिर उ़म्रह के इहराम की नियत करें और कहें:

"لَبَّيْكَ عُمْرَةً، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ, إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ"

पुरुष इन शब्दों को उँची आवाज़ से कहेगा और महिलायें धीमी आवाज़ से। फिर अधिक से अधिक तल्बिया, अल्लाह का ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार में मश्ग़ूल रहें, लोगों को भलाई का हुक्म देते रहें और बुराई से रोकते रहें।

२- मक्का मुकर्रमा पहुँचने के बाद का'बा घर के सात चक्कर लगायें। आरंभ ह़जरे अस्वद के पास से तक्बीर के द्वारा होना चाहिए और अंत भी वहीं होगा। तवाफ़ के दौरान अल्लाह का ज़िक्र और विभिन्न दुआओं में व्यस्त रहना चाहिए। और सुन्नत यह है कि प्रत्येक चक्कर में रुक्ने यमानी और ह़जरे अस्वद के दर्मियान यह दुआ पढ़ें:

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (٢٠١) سورة البقرة

अर्थः ((ऐ हमारे पालनहार! हमें इस संसार में भलाई प्रदान कर और परलोक में भी भलाई प्रदान कर और हमें नरक की यातना से बचा ले।)) [सूरह अल-बक़रहः २०१]

फिर अगर संभव हो तो मक़ामे इब्राहीम के पीछे अन्यथा मसजिद में किसी दूसरी जगह दो रक्अत नमाज़ पढ़ें।

इस तवाफ़ में मर्दों के लिए इज़्तिबाअ़ करना सुन्नत है। अर्थात चादर का दर्मियानी ह़िस्सा

(मध्यमांश) दायें बग़ल के नीचे और उसके दोनों किनारों को बायें कंधे के उपर कर ले। और यह भी सुन्नत है कि सिर्फ़ शुरू के तीन चक्करों में रमल करे (छोटे छोटे क़दम से तेज़ चलने को रमल कहते हैं)।

३- इसके बाद सफ़ा पहाड़ी के ओर जायें। उस पर चढ़कर अल्लाह तआला का यह कलाम पढ़ें:

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ﴾ (١٥٨) سورة البقرة

अर्थः ((अवश्य सफ़ा एवं मरवह अल्लाह की निशानियों में से हैं।)) [सूरह अल-बक़रहः १५८] फिर क़िबला की तरफ़ रुख़ करें, अल्लाह की प्रशंसा करें और दोनों हाथ उठाकर तीनबार अल्लाहु अक्बर कहें और दुआ करें। दुआ को तीनबार दोहराना सुन्नत है, और यह भी तीनबार पढ़ें:

''لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ،،

तीनबार से कम पढ़ने में भी कोई दोष नहीं। फिर पहाड़ी से उतरकर सातबार सई करें। प्रत्येकबार दोनों हरे निशानों के बीच तेज़ चलें और इसके आगे व पीछे

स्वभाबिक चाल चलें। मरवह पहाड़ी पर भी चढ़ें, अल्लाह की प्रशंसा करें और वही कुछ करें जो सफ़ा पहाड़ी पर किया था और संभव हो तो तक्बीर भी कहें। तवाफ़ और सई़ के लिए कोई निर्दिष्ट दुआ नहीं है, बल्कि जो भी ज़िक्र व तस्बीह़ और दुआ कंठस्थ (याद) हो पढ़ें और क़ुरआन की तिलावत करें। लेकिन नबी करीम ﷺ से प्रमाणित ज़िक्रों और दुआओं की तरफ़ विशेष ध्यान रखें।

४- सई़ पूरी हो जाने के बाद सिर के बाल मुंडवायें अथवा छोटा करवायें। अब उ़म्रह सम्पूर्ण हो गया और इहराम के कारण जो चीज़ें हराम हो गई थीं वह सब हलाल हो गईं।

यदि नियत तमत्तुअ ह़ज्ज की थी या क़िरान की तो क़ुर्बानी के दिन एक बक्री अथवा ऊँट या गाय के सप्तमांश की क़ुर्बानी आवश्यक होगी। अगर किसी को सुलभ (मयस्सर) नहीं तो फिर दस रोज़े रखने हुंगे, तीन दिन ह़ज्ज के दिनों में और सात दिन घर को वापसी के बाद। अरफ़ा दिवस से पूर्व ही तीनों रोज़े

रख लेना बेहतर है। और अगर ईद के बाद तीन रोज़े रखे गये तो भी कोई हरज नहीं।

ह़ज्ज का विवरण

१- यदि आपने इफ़्राद अथवा क़िरान ह़ज्ज की नियत की है तो ह़ज्ज की नियत उस मीक़ात (इह़राम बाँधने का स्थान) से करें जहाँ से आपका गुज़र हो। और अगर आपका स्थान मीक़ात सीमा के भीतर हो तो अपने स्थान से नियत करें। यदि नियत तमत्तुअ़ ह़ज्ज की थी तो अष्टम ज़ुल्हिज्जा को अपने अवस्थान स्थल (क़ियामगाह) से ही नियत करें। संभव हो तो स्नान (ग़ुस्ल) करें, सुगंध लगायें और इह़राम के कपड़े परिधान कर लें, फिर कहें:

''لَبَّيْكَ حَجًّا، لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ, إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ،،

२- फिर मिना के लिए प्रस्थान करें। वहाँ ज़ोह्र, अ़स्र, मग़्रिब, इशा और फ़ज्र की नमाज़ें पढ़ें। चार रक्अ़त विशिष्ट नमाज़ें दो रक्अ़त, अपने अपने समय में जमा (एकत्रित) किये बिना पढ़ें।

३- नौ तारिख़ को सूर्य उदय होने के बाद शान्ति-प्रशान्ति के साथ अ़रफ़ात के लिए रवाना हो

जायें। दूसरे हाजीयों को कष्ट न दें। वहाँ ज़ोह्र के समय ज़ोह्र और अस्र की नमाज़ एक अज़ान और दो एक़ामतों के साथ अदा करें। फिर अरफ़ात के हुदूद (सीमा) में प्रवेश हो जाने पर निश्चित हो लें। और नबी करीम ﷺ की पैरवी में चेहरा क़िबला की ओर करके दोनों हाथों को उठाकर अधिक से अधिक ज़िक्र व दुआ में मश्ग़ूल हो जायें। अरफ़ा का मैदान पूरा का पूरा ठहरने (वक़ूफ़) का मक़ाम है। सूर्य अस्त होने तक हुदूदे अरफ़ात में ही ठहरे रहना चाहिए।

४- सूर्य अस्त होने के बाद तल्बिया पुकारते हुए पूरे शान्ति-प्रशान्ति के साथ मुज़्दलिफ़ा की तरफ़ रवाना हो जायें और अपने मुसलमान भाईओं को तक्लीफ़ न पहुँचायें। मुज़्दलिफ़ा पहुँचते ही मग़्रिब व इशा की नमाज़ एकसाथ क़स्र करके अदा करें और उसके बाद वहीं रहें यहां तक कि फ़ज्र की नमाज़ पढ़ लें और प्रभात (सुबह) का उजाला अच्छि तरह फैल जाये। फ़ज्र की नमाज़ के पश्चात नबी करीम ﷺ की

पैरवी करते हुए चेहरा क़िबला की ओर करके दोनों हाथ उठाकर अधिकाधिक दुआ व ज़िक्र करें।

५- सूर्य उदय होने से पहले तल्बिया पुकारते हुए मिना की तरफ़ रवाना हो जायें। उज़्र वाले जैसे महिलायें, बूढ़े और दुर्बल लोग आधी रात के बाद मिना के लिए रवाना हो सकते हैं। जम्राये अ़क़बा की रमी करने के लिए सात कंकरियां ले लें और बाक़ी कंकरियां मिना ही से चुन लें। ईद के दिन जम्राये अ़क़बा की रमी करने के लिए भी कंकरियां मिना से ले सकते हैं।

६- मिना पहुँचने के बाद निम्नलिखित काम करें:

(क) जम्राये अ़क़बा जो मक्का से नज़्दीक है उसकी रमी करें, अर्थात परस्पर (एके बाद दीगरे) सात कंकरियां मारें। हर कंकरी के साथ अल्लाहु अक्बर कहें।

(ख) अगर आपके उपर क़ुर्बानी वाजिब हो तो क़ुर्बानी करें। उसका मांश (गोश्त) स्वयं खायें और अभावियों को खिलायें।

(ग) सिर के बाल मुँडवायें अथवा कतरवायें। मुँडवाना बेहतर है। महिला के लिए उँगली के एक पोर के बराबर काट लेना काफ़ी होगा। यह सब कार्य इसी तर्तीब से करना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आगे-पीछे हो जाए तो कोई हरज नहीं। जमाये अक़बा की रमी और सिर के बाल मुँडवाने या छोटा करवाने के बाद इहराम का अवरोध (बंदिश) ख़त्म हो गया। अब कपड़े पहन सकते हैं और बीवी के अलावा इहराम के कारण निषिद्ध सारी चीज़ें हलाल हो गयीं।

७- अब मक्का जायें और तवाफ़े इफ़ाज़ा करें। अगर हज्जे तमत्तुअ की नियत थी तो तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद सई भी करें। अगर हज्जे क़िरान की नियत थी और तवाफ़े कुदूम (आगमन तवाफ़) के साथ सई की थी तो तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद सई करने की ज़रूरत नहीं। और इसके बाद इहराम के कारण निषिद्ध

चीज़ों के हलाल होने के साथ बीवी भी हलाल हो जायेगी। तवाफ़े इफ़ाज़ा और सई अय्यामे मिना (११, १२ व १३ ज़ुल्हिज्जा) के बाद भी किया जा सकता है।

८- क़ुर्बानी के दिन तवाफ़े इफ़ाज़ा और सई करने के बाद मिना वापस जायें और अय्यामे तश्रीक़ अर्थात ११, १२ व १३ की रातें वहीं गुज़ारें। अगर कोई १२ तारिख़ ही को जमरात को कंकरीयां मारने के बाद वापस आजाये तो भी जायज़ है।

९- इन दोनों या तीनों दिनों में ज़वाल (सूरज ढलने) के बाद तीनों जमरात को कंकरियां मारें। शुरूआत पहले जम्रा से करें, जो मक्का से बाक़ी दोनों की तुलना से (बनिस्बत) अधिक दूर है। फिर दूसरे को और फिर जम्रा अक़बा को। प्रत्येक को सात कंकरियां मारें और हर कंकरी के साथ अल्लाहु अक्बर कहें। पहले और दूसरे जम्रा को रमी करने के बाद चेहरा क़िबला कि ओर करके हाथ उठाये हुए दुआ करें, लेकिन जम्रा अक़बा की रमी के बाद दुआ के लिए न ठहरें।

अगर मिना में केवल दो ही दिन रहना चाहें तो दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले ही वहां से निकल जायें। अगर सूर्य मिना में डूब गया तो तीसरे दिन भी अवस्थान करें और कंकरियां मारें। बेहतर यही है कि तीसरी रात भी मिना में गुज़ारी जाए। बीमार और दुर्बल आदमी के लिए जायज़ है कि कंकरियां मारने के लिए किसी को अपना प्रतिनिधि (नाइब) बना दे। और प्रतिनिधि के लिए यह जायज़ है कि पहले अपनी तरफ़ से और फिर नाइब बनाने वाले की तरफ़ से एक ही बार में कंकरियां मारे।

१०- ह़ज्ज पूरा हो जाने के बाद जब अपने देश को वापस जाना चाहें तो हैज़ और निफ़ास वाली महिला के अ़लावा सब लोग तवाफ़े विदाअ़ करें।

मुह़रिम के लिए ज़रूरी बातें

ह़ज्ज और उ़म्रह का इह़राम बाँधने वालों के लिए निम्नलिखित बातें ज़रूरी हैं:

१- अल्लाह तआ़ला ने जिन आ'माल को फ़र्ज़ किया है, उन्हें ज़रूर अदा करें। उदाहरण स्वरूप पाँच वक़्त की नमाज़ जमाअ़त के साथ अदा करें।

२- जिन कामों से अल्लाह तआ़ला ने निषेध किया है उनसे दूर रहें। अर्थात ग़ीबत, अश्लील बातें, पाप व बदकारी और लड़ाई-झगड़ा से बचें।

३- अपने वचन व कार्य (क़ौल व अ़मल) द्वारा मुसलमानों को कष्ट न पहुँचायें।

४- इह़राम के कारण निषिद्ध कामों से बचें जिनकी तफ़्सील निम्नलिखित है:

(क) बाल न काटें, नाख़ुन न तराशें, अगर ख़ुद से कोई बाल गिर जाता है अथवा कोई नाख़ुन अलग हो जाता है तो कोई बात नहीं।

(ख) अपने शरीर, कपड़े और खाने-पीने की चीज़ों में सुगंध इस्ते'माल न करें। इह़राम की नियत

करने से पूर्व जो सुगंध प्रयोग किया था, अगर उसका कोई असर बाक़ी रह गया है तो कोई हरज नहीं।

(ग) किसी शिकार किये जाने वाले ख़ुश्की के जानवर को न मारें और न बिदकायें और न ही दूसरों को इस काम में मदद करें।

(घ) महिलाओं को विवाह का पैग़ाम न दें, न अपने अथवा किसी दूसरे के विवाह बंधन (अक़्दे निकाह़) का सबब बनें। और जब तक इह़राम में हो शहवत के साथ महिला से मैथुन (मुबाशरत) और संभोग (हम्बिस्तरी) न करें। पूर्वोक्त बातों में नारी-पुरुष समान हैं।

केवल पुरुष के लिए निषिद्ध बातें

(क) किसी चिपकने वाली चीज़ से अपना सिर न ढाँकें। छत्री अथवा गाड़ी की छत से छाया ह़ासिल करने और सिर पर सामान उठाने में कोई ह़रज नहीं।

(ख) क़मीज़ अथवा कोई दूसरा सिला हुआ ऐसा कपड़ा जो पूरे शरीर या शरीर के अंग को ढाँपता है इस्ते'माल न करें। टोपी, पगड़ी, पाजामा और मोज़े भी इस्ते'माल न करें। अगर किसी को लुंगी मयस्सर (सुलभ) न आए तो पाजामा, और जूते न हुँ तो मोज़े पहन सकता है। महिला के लिए इह़राम के समय दोनों हाथों में दस्ताने (हाथ मोज़ा) पहनना या निक़ाब (मुखावरण) अथवा बुर्क़ा द्वारा अपने चेहरे को छिपाना निषिद्ध है। अगर अपरिचित (ग़ैर मह़रम) मर्दों का सामना हो रहा है तो फिर चेहरा को ओढ़नी या किसी और चीज़ से छिपाना वैसे ही वाजिब होगा जैसा कि इहराम की ह़ालत में न रहते हुए वाजिब होता है। अगर मुह़रिम भूलकर या जिहालत (अज्ञात) में सिला हुआ कपड़ा पहन लेता है या अपने सिर को ढाँक लेता

है या ख़ुश्बू इस्ते'माल कर लेता है या अपना कोई बाल काट लेता है या अपना नाख़ुन तराश लेता है तो कोई जुर्माना नहीं। लेकिन जैसे ही याद आये या हुक्म (विधान) जान ले तो उसका दूर करना वाजिब है। चप्पल, अंगूठी, चश्मा, घड़ी, बेल्ट और कोई ऐसा छोटा थैला जिसमें पैसा और ज़रूरी काग़ज़पत्र इत्यादि महफ़ूज़ (सुरक्षित) रखा जाता है उन सब का पहनना जायज़ है। इसी तरह बहरा के लिए कान का यन्त्र (आला) इस्ते'माल करना भी जायज़ है।

कपड़े बदलना और साफ़ करना, सिर और जिस्म को धोना जायज़ है। अगर इस सूरत में बिना इच्छा के कोई बाल गिर जाता है तो कोई ह़रज नहीं। इसी प्रकार अगर मुह़रिम को कोई ज़ख़्म पहुँच जाता है तो कोई ह़रज नहीं।

मस्जिदे नबवी ﷺ की ज़ियारत

१- मस्जिदे नबवी ﷺ की ज़ियारत और उसमें नमाज़ पढ़ने की नियत से मदीना मुनव्वरा का यात्रा मस्नून (सुन्नत सम्मत) है। क्योंकि उस में एक नमाज़ पढ़ना मस्जिदे ह़राम के अ़लावा तमाम दूसरी मस्जिदों की ह़ज़ार नमाजों से श्रेष्ठ व बेह्तर है।

२- मस्जिदे नबवी की ज़ियारत के लिए इह़राम और तल्बिया की ज़रूरत नहीं, और न ही ह़ज्ज और इसके दर्मियान कोई अपरिहार्य सम्पर्क (लाज़िमी तअ़ल्लुक़) है। (अर्थात मस्जिदे नबवी का ह़ज्ज से कोई सम्पर्क नहीं।)

३- मस्जिदे नबवी में प्रवेश के समय पहले दायाँ पाँव बढ़ायें और बिस्मिल्लाह कहें और दुरूद पढ़ें और अल्लाह से दुआ़ करें कि आपके लिए अपनी रह़मत के दरवाज़े खोल दे और यह दुआ़ पढ़ें:

''أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ،،

दूसरी मस्जिदों में प्रवेश के समय भी यही दुआ पढ़नी चाहिए।

४- मस्जिद में दाख़िल होते ही सबसे पहले तहिय्यतुल मस्जिद (मस्जिद की सलामी नमाज़) पढ़ें। अगर रौज़तुल जन्नत (मस्जिदे नबवी के उस हिस्से में जिसे जन्नत का बाग़ कहा गया है) में जगह मिल जाए तो बेहतर है, वरना फिर मस्जिद में किसी जगह नमाज़ पढ़ लें।

५- इसके बाद नबी करीम ﷺ की क़ब्र की तरफ़ जायें और चेहरा क़ब्र की ओर करके खड़े होकर अदब के साथ धीमी आवाज़ से कहें:

"السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ"

और दुरूद पढ़ें। यह दुआ भी पढ़ी जा सकती है:

"اللَّهُمَّ آتِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ، اللَّهُمَّ اجْزِهِ عَنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلَ الْجَزَاءِ"

फिर थोड़ा दायें तरफ़ बढ़कर अबू बक्र ؓ की क़ब्र के सामने खड़े हो जायें, सलाम करें और उनके लिए मग़्फ़िरत व रह़मत और रिज़ा की दुआ करें। इसके बाद कुछ दायें तरफ़ बढ़कर उमर ؓ की क़ब्र के

सामने खड़े हो जायें, सलाम करें और उनके लिए भी मग़्फ़िरत व रह़मत और रिज़ा की दुआ करें।

६- वज़ू करके मस्जिदे क़ुबा जाना और उसमें नमाज़ पढ़ना सुन्नत है। नबी करीम ﷺ ने ख़ुद ऐसा किया और दूसरों को इसकी तरग़ीब दिलाई।

७- क़ब्रिस्तान बक़ीअ़ की ज़ियारत करना मस्नून है। उसमें उ़स्मान ﷺ की क़ब्र है। उ़हुद के शहीदों (जिनमें ह़मज़ा ﷺ की कंब्र भी है) की ज़ियारत भी मस्नून है। उन सबको सलाम करें और उनके लिए दुआ करें। इस लिए कि नबी करीम ﷺ उनकी ज़ियारत करते और उनके लिए दुआ फ़रमाते थे। और सह़ाबा किराम ﷺ को सिखलाते थे कि जब क़ब्रों की ज़ियारत करो तो कहोः

''السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ،، [مسلم]

मदीना मुनव्वरा में कोई दूसरी जगह या मस्जिद नहीं जिसकी ज़ियारत जायज़ हो। इस लिए अपने आपको तक्लीफ़ में न डालें और न ही कोई ऐसा काम करें

जिसका कोई अज्र न मिले बल्कि उल्टा गुनाह का आशंका है।

वह भूल-त्रुटि (ग़लतियाँ) जिन में कतिपय ह़ाजी लिप्त होते हैं

इह़राम की ग़लतियाँ:

इह़राम बाँधे बिना मीक़ात से आगे गुज़र जाना यहाँ तक कि जिद्दा या मीक़ात सीमा के अंदर किसी और जगह पहुँच कर वहाँ से इह़राम बाँधना। यह नबी करीम ﷺ के उस हुक्म के ख़िलाफ़ है जिस में कहा गया है कि प्रत्येक ह़ाजी को मीक़ात से इह़राम बाँध लेना चाहिए। जो व्यक्ति मीक़ात सीमा पार कर जाए उसे वापस जाकर या तो मीक़ात से इह़राम बाँधना चाहिए या एक फिदया दे (एक बकरी ज़बह करे) जिसे मक्का मुकर्रमा में ज़बह करके पूरा का पूरा वहाँ के फ़क़ीरों को खिला दे। चाहे वह हवाई जहाज़ से आया हो या ज़मीनी रास्ते से या समुद्र के रास्ते से। अगर मीक़ात की पाँच प्रसिद्ध जग्हों में से किसी भी जगह से गुज़र न हो तो जिस मीक़ात का सामना पहले हो वहाँ से इह़राम बाँध ले।

तवाफ़ की ग़लतियाँ:

१- ह़जरे अस्वद से पहले ही तवाफ़ आरंभ कर देना, हालाँकि ह़जरे अस्वद के पास से शुरू करना वाजिब है।

२- का'बा की असम्पूर्ण दीवार के अंदर से तवाफ़ करना। जिसने ऐसा किया उसने पूरे का'बा घर का तवाफ़ नहीं किया। इस लिए कि ह़िज्र (का'बा का वह भाग जो क़ुरैश ने बनाते समय छोड़ दिया था) का'बा का एक अंश है। इस तरह़ उसका हर वह चक्कर बातिल हो जायेगा जो का'बा की दीवार के अंदर से किया हो।

३- तवाफ़ के सातों चक्करों में तेज़ चलना, जबकि ऐसा करना तवाफ़े क़ुदूम (आगमन तवाफ़) के केवल शुरू के तीन चक्करों के साथ ख़ास (बैध) है।

४- ह़जरे अस्वद को चूंबन (बोसा) देने के लिए प्रचंडता (शिद्दत) के साथ भीड़ करना। कभी कभी मार-पीट और गाली-गुलूज की नौबत आजाती है। ऐसा करना कदापि दुरुस्त नहीं। तवाफ़ के शुद्ध होने के

लिए हजरे अस्वद को चूंबन देना हरगिज़ ज़रूरी नहीं। बल्कि दूर से केवल उसकी तरफ़ इशारा करना और अल्लाहु अक्बर कहना यथेष्ट (काफ़ी) होगा।

५- हजरे अस्वद को बर्कत की नियत से स्पर्श करना बिद्अत है। शरीअत में इसकी कोई दलील नहीं। सुन्नत केवल उसका श्पर्श करना और बोसा देना है अल्लाह तआला की इबादत समझकर।

६- का'बा घर के समस्त कोणों (गोशों) का स्पर्श करना और कभी कभी उसकी समस्त दीवारों का छुना। नबी करीम ﷺ ने हजरे अस्वद और रुक्ने यमानी को छोड़कर का'बा घर के किसी भी अंश को स्पर्श नहीं किया।

७- तवाफ़ के प्रत्येक चक्कर के लिए अलग अलग निर्दिष्ट दुआ पढ़ना। यह भी रसूलुल्लाह ﷺ से प्रमाणित नहीं। केवल इतना प्रमाणित है कि जब आप हजरे अस्वद के पास आते तो तक्बीर कहते और हजरे अस्वद व रुक्ने यमानी के बीच प्रत्येक चक्कर के अंत में यह दुआ पढ़तेः

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (٢٠١) سورة البقرة

८- कुछ तवाफ़ करनेवाले और तवाफ़ करानेवाले तवाफ़ की ह़ालत में अपनी आवाज़ें इतनी ऊँची करते हैं कि दूसरे तवाफ़ करनेवालों को तश्वीश (डिस्टर्ब) होती है। यह भी तवाफ़ की ग़लतियों में से है।

९- मक़ामे इब्राहीम के पास नमाज़ पढ़ने के लिए भीड़ करना भी सुन्नत विपरीत (ख़िलाफ़े सुन्नत) है। और इस से तवाफ़ करनेवालों को तक्लीफ़ पहुँचती है। तवाफ़ की दो रक्अ़त नमाज़ मस्जिद में कहीं भी पढ़ सकते हैं।

सई की ग़लतियाँ:

१- कुछ लोग सफ़ा और मरवह पर पहुँचकर का'बा घर की तरफ़ चेहरा करके तक्बीर कहते समय अपने हाथों से उसकी तरफ़ इशारा करते हैं जैसे नमाज़ के लिए तक्बीर कह रहे हुँ। इस तरह़ इशारा करना सह़ीह़ नहीं। सुन्नत यह है कि अपने हाथ इस तरह़ उठाये जैसे दुआ के लिए उठाते हैं।

२- कुछ लोग सई के दर्मियान पूरा समय दौड़ते रहते हैं, ह़ालाँकि सुन्नत यह है कि सिर्फ़ दोनों हरे निशानों के दर्मियान दौड़े और बाक़ी चलता रहे।

अ़रफ़ात की ग़लतियाँ:

१- कतिपय ह़ाजी अ़रफ़ात सीमा के बाहर ही पड़ाव डाल देते हैं और सूर्यास्त तक वहीं रहते हैं एवं अ़रफ़ात में अवस्थान के बिना ही मुज़्दलिफा लौट आते हैं। यह बहुत बड़ी ग़लती है, इस से ह़ज्ज फ़ौत हो जाता है, क्योंकि ह़ज्ज अ़रफ़ा में अवस्थान (वक़ूफ़) का नाम है। ह़ाजी के लिए ज़रूरी है कि अ़रफ़ात सीमा के अंदर रहे। अगर भीड़ के कारण अथवा किसी और कारण ऐसा संभव न हो तो सूर्यास्त से पहले दाख़िल हो और सूर्यास्त तक ठहरा रहे। अ़रफ़ात में क़ुर्बानी की रात में दाख़िल होना भी काफ़ी होगा।

२- कुछ लोग सूर्यास्त से पहले ही अ़रफ़ात से लौट जाते हैं। ऐसा करना सह़ीह़ नहीं क्योंकि

रसूलुल्लाह ﷺ अरफ़ात में उस वक़्त तक ठहरे रहे जब तक सूरज पूरे तौर पर डूब न गया।

३- कुछ लोग रह़मत नामक पहाड़ की चोटी तक पहुँचने के लिए भीड़ और दूसरों को तक्लीफ़ पहुँचाने का कारण बनते हैं। पूरे मैदाने अरफ़ा में किसी जगह भी अवस्थान सह़ीह़ है और पहाड़ पर चढ़ना दुरुस्त नहीं और न ही वहाँ नमाज़ पढ़ना सह़ीह़ है।

४- कुछ लोग दुआ करते समय रह़मत नामक पहाड़ की तरफ़ रुख़ करते हैं, ह़ालाँकि सुन्नत क़िबला की तरफ़ रुख़ करना है।

५- कुछ लोग अरफ़ा के दिन निर्दिष्ट स्थानों में मिट्टी और कंकरों का ढेर लगाते हैं। ऐसा करना शरीअत के ख़िलाफ़ है।

मुज़्दलिफ़ा की ग़लतियाँ:

कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मुज़्दलिफ़ा पहुँचते ही मग़रिब और इशा की नमाज़ पढ़ने से पहले कंकर चुनना शुरू कर देते हैं और यह समझते हैं कि कंकर

मुज़्दलिफ़ा से ही होना चाहिए। हालाँकि सही मस्अला यह है कि कंकर समूह हरम सीमा में कहीं से भी लिए जा सकते हैं। बल्कि साबित यह है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने लिए जम्रा अक़बा के कंकर समूह मुज़्दलिफ़ा से चुनने का हुक्म नहीं दिया था बल्कि सुबह को मुज़्दलिफ़ा से वापसी के बाद मिना से चुने गये थे। इसी प्रकार अवशिष्ट दिनों के कंकर समूह भी मिना से लिए गये थे। कुछ लोग कंकरों को पानी से धोते हैं। यह अमल भी शरीअ़त सम्मत नहीं है।

रमी (कंकर मारने) की ग़लतियाँ:

१- कुछ लोग कंकर मारते समय यह अक़ीदा रखते हैं कि वह शैतान को मार रहे हैं। इसी लिए जमरात में कंकर मारते हुए आक्रोश प्रकट (गुस्सा का इज़्हार) करते हैं और गालियां भी देते हैं। हालाँकि कंकर मारने की हिक्मत अल्लाह तआ़ला का स्मरण (याद) है।

२- कंकर मारने के लिए बड़े पत्थर, जुते या लकड़ी का इस्ते'माल करना दीन में अतिरंजन (ग़ुलू) और ज़ियादती है। हालाँकि रसूलुल्लाह ﷺ ने ग़ुलू करने से मना फ़रमाया है। और इस तरह करने से रमी भी नहीं होगी। शरीअ़त सम्मत (मशरू) बात यह है कि छोटे छोटे कंकर इस्ते'माल किये जायें जो बक्री की मींगनी जैसे हों।

३- कंकर मारते समय धक्कमधक्का और मार-धाड़ करना शरीअ़त विपरीत बात है। कोशिश यह होनी चाहिए कि किसी को तक्लीफ़ पहुँचाये बिना कंकर मारें।

४- समस्त कंकरों को एक मुट्ठी में लेकर एक ही बार में मार देना सहीह नहीं है। विद्वानों (उलमा) का फ़तवा है कि ऐसी सूरत में केवल एक कंकर शुमार होगा। इस लिए कि शरीअ़त का हुक्म है कि कंकर समूह एक एक करके मारे जायें और प्रत्येक कंकर के साथ तक्बीर कही जाये।

५- मशक्क़त और भीड़ से डरते हुए क्षमता (क़ुदरत व ताक़त) के बावजूद कंकर मारने के लिए दुसरे को प्रतिनिधि (नाइब) बनाना सह़ीह़ नहीं। अत्यधिक (निहायत) बीमारी या किसी और मज्बूरी के कारण केवल क्षमता न रखने की स्थिति में नाइब बनाना जायज़ है।

तवाफ़े विदाअ़ की ग़लतियाँ:

१- कुछ लोग बारहवीं या तेरहवीं तारिख़ को कंकर मारने से पहले मिना से मक्का आते हैं, तवाफ़े विदाअ़ करते हैं, फिर मिना जाकर कंकर मारते हैं और वहीं से अपने शहर या देश की तरफ़ वापस हो जाते हैं। ऐसी सूरत में अंतिम काम कंकर मारना होता है, न कि का'बा का तवाफ़। जबकि रसूलुल्लाह ﷺ का फ़रमान हैः ((मक्का मुकर्रमा से रवानगी से पहले आख़िरी काम अल्लाह के घर का तवाफ़ होना चाहिए।)) इस लिए ज़रूरी है कि तवाफ़े विदाअ़ ह़ज्ज के कामों से निवृत्त (फ़ारिग़) होने के बाद और यात्रा

से कुछ पहले होना चाहिए। इसके बाद मक्का में देर तक नहीं ठहरना चाहिए।

२- कुछ लोग तवाफ़े विदाअ़ के बाद मस्जिदे ह़राम से उल्टे पाँव निकलते हैं और चेहरा का'बा की तरफ़ होता है। वह समझते हैं कि इसमें का'बा घर का सम्मान है। ह़ालाँकि यह सरासर बिद्अ़त है, दीन में इसकी कोई वास्तविकता (ह़क़ीक़त) नहीं।

३- कुछ लोग तवाफ़े विदाअ़ के बाद मस्जिदे ह़राम के दरवाज़े पर पहुँचकर का'बा घर की तरफ़ चेहरा करके अत्यधिक दुआ करते हैं जैसे कि ख़ाना का'बा को रुख़सत (विदाअ़) कर रहे हुँ। यह भी बिद्अ़त है, इस की कोई शरई हैसियत नहीं।

मस्जिदे नबवी ﷺ की ज़ियारत की ग़लतियाँ:

१- कुछ लोग रसूलुल्लाह ﷺ के क़ब्र की ज़ियारत के समय दीवारों और लोहे की छड़ों (सलाख़ों) पर हाथ फेरते हैं, खिड़कीयों में बर्कत ह़ासिल करने की नियत से धागे इत्यादि बाँधते हैं। ह़ालाँकि बर्कत उन कामों से ह़ासिल होती है जिन्हें

अल्लाह और उसके रसूल ﷺ ने मशरू' (शरीअ़त सम्मत) क़रार दिया हो। ख़ुराफ़ात और बिद्अ़तों से बर्कत ह़ासिल नहीं हो सकती।

२- उहुद पहाड़ के ग़ार (गुफा), मक्का मुकर्रमा में ग़ारे सौर और ग़ारे ह़िरा की ज़ियारत के लिए जाना, वहाँ धागे इत्यादि बाँधना और ग़ैर मशरू' दुआ़यें करना और उन सब कामों के लिए तक्लीफ़ें उठाना। उक्त सारे काम बिद्अ़त के हैं, शरीअ़त में उनकी कोई असलियत (वास्तविकता) नहीं।

३- कतिपय स्थानों के बारे में यह धारणा रखा जाता है कि उनका संपर्क (तअ़ल्लुक़) रसूलुल्लाह ﷺ से रहा है, जैसे उँटनी के बैठने का स्थान, अंगूठी वाला कुँआ, उ़स्मान ؓ का कुँआ। इन स्थानों की ज़ियारत करना और बर्कत के लिए मिट्टी लेना बिद्अ़त है, इसकी कोई दलील मौजूद नहीं।

४- बक़ीअ़ और उहुद के शहीदों के क़ब्रों की ज़ियारत के वक़्त मुर्दों को पुकारना, क़ब्रों से निकटता (तक़र्रुब) और क़ब्रवालों की बर्कत ह़ासिल करने के

लिए पैसे डालना। यह सब बड़ी ख़तरनाक ग़लतियाँ हैं, बल्कि शिर्के अक्बर (बड़ा शिर्क) है, जैसा कि उलमा ने लिखा है और अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह ﷺ की सुन्नत में इसके स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं। इस लिए कि इबादत (उपासना) सिर्फ़ अल्लाह के लिए ख़ास है। इबादत का कोई भी प्रकार ग़ैरुल्लाह के लिए जायज़ नहीं। जैसे दुआ, क़ुर्बानी, नज़्र व नियाज़ इत्यादि। अल्लाह तआला का फ़रमान हैः

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ (٥) سورة البينة

अर्थः ((उनको इस बात का हुक्म दिया गया है कि सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें।)) [सूरह अल-बय्यिनाः ५] और अल्लाह का इर्शाद हैः

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (١٨) سورة الجن

अर्थः ((मस्जिदें सिर्फ़ अल्लाह के लिए हैं, इस लिए अल्लाह के साथ किसी और को न पुकारो।)) [सूरह अल-जिन्नः १८]

हम अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करते हैं कि मुसलमानों के ह़ालात को सुधार दे, उनको दीन की समझ प्रदान करे और हम सबको फ़ितना-फ़साद से दूर रखे, वही सुननेवाला और क़बूल करनेवाला है।

ह़ज्ज, उ़म्रह व मस्जिदे नबवी ﷺ की ज़ियारत संबंधित संक्षिप्त निर्देशिका

१- सबसे पहले समस्त गुनाहों से ख़ालिस दिल के साथ तौबा करें और ह़ज्ज व उ़म्रह के लिए ह़लाल माल का इन्तिख़ाब (चयन) करें।

२- झूट, ग़ीबत, चुगलख़ोरी और दूसरों का मज़ाक़ उड़ाने से अपनी ज़बान की रक्षा (ह़िफ़ाज़त) करें।

३- ह़ज्ज व उ़म्रह से नियत अल्लाह की संतुष्टि (रिज़ा) और आख़िरत की तैयारी हो।

४- क़ौली व फ़ेली (वचन व कर्म संबंधित) ह़ज्ज व उ़म्रह के मनासिक का इ़ल्म ह़ासिल करें और जटिल (मुश्किल) मसायेल (समस्या) विद्वानों से पूछें।

५- ह़ाजी जब मीक़ात पर पहुँचे तो उसे अधिकार है कि इफ़्राद, क़िरान और तमत्तुअ तीनों में से किसी एक की नियत करें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति क़ुर्बानी का जानवर नहीं लाता है तो उसके लिए श्रेष्ठ (अफ़ज़ल) ह़ज्ज ह़ज्जे तमत्तुअ है और जो

जानवर लाता है उसके लिए श्रेष्ठ ह़ज्ज ह़ज्जे क़िरान है।

६- अगर किसी बीमारी या डर की वजह से मुह़रिम को आशंका हो कि वह अपना ह़ज्ज मुकम्मल (पूरा) नहीं कर सकेगा तो बेहतर यह है कि नियत करते समय इन शब्दों (अलफ़ाज़) को भी वृद्धि कर लेः ((إِنَّ مَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ)) अर्थातः ((हे अल्लाह, तु मुझे जहाँ रोक दे वहीं ह़लाल हो जाउंगा।))

७- छोटे बच्चे और छोटी बच्ची का ह़ज्ज सह़ीह़ होगा लेकिन युवावस्था (बुलूग़त) के बाद फ़र्ज़ ह़ज्ज की तरफ़ से यथेष्ट नहीं होगा।

८- मुह़रिम नहा सकता है, अपना सिर धो सकता है और खुजला सकता है।

९- महिला अपने चेहरे पर दोपट्टा डाल सकती है अगर यह डर हो कि ग़ैर मह़रम लोग उसकी तरफ़ देख रहे हैं।

१०- अनेक महिलायें दोपट्टा के नीचे कोई सख़्त चीज़ इस्तेमाल करती हैं ताकि उसे चेहरे से दूर

रखा जाये। शरीअ़त में इसकी कोई वास्तविकता नहीं है।

११- मुह़रिम अपने इह़राम के कपड़े धो सकता है, उनके बदले दूसरे पहन सकता है।

१२- अगर मुह़रिम आदमी ने भूलकर या अज्ञता (नादानी) में सिला हुआ कपड़ा पहन लिया, या सिर ढाँक लिया, या ख़ुश्बू लगा ली तो उस पर कोई फ़िदया व जुर्माना नहीं।

१३- ह़ाजी ख़ाना का'बा के पास पहुँचते ही तवाफ़ शुरू करने से पहले (अगर ह़ज्जे तमत्तुअ़ या केवल उ़म्रह की नियत है) तल्बिया बंद कर देगा।

१४- तवाफ़ के पहले तीन चक्करों में तेज़ चलना और दायें बग़ल के नीचे से चादर निकाल कर कंधा खुला रखना, केवल तवाफ़े क़ुदूम में और सिर्फ़ मर्दों के लिए जायज़ है।

१५- अगर ह़ाजी को संदेह हो जाये कि उसने - उदाहरण स्वरूप- तवाफ़ या सई़ के तीन चक्कर लगाये हैं या चार चक्कर तो सिर्फ़ तीन शुमार करे।

१६- यदि भीड़ अत्यधिक बढ़ जाये तो ज़म्ज़म और मक़ामे इब्राहीम के पीछे से तवाफ़ करने में कोई ह़रज नहीं। बल्कि पूरी मस्जिद तवाफ़ की जगह है, पहली मंज़िल, दूसरी मंज़िल और तीसरी मंज़िल सब समान हैं।

१७- महिला के लिए यह गुनाह की बात है कि तवाफ़ की ह़ालत में शृंगार व सजावट (ज़ीनत व ज़िबाइश), ख़ुश्बू और बेपर्दगी की ह़ालत में हो।

१८- अगर इह़राम की नियत के बाद महिला को मासिक (ह़ैज़) आरंभ हो जाता है या वलादत होजाती है तो पवित्रता (त़हारत) से पहले उसके लिए अल्लाह के घर का तवाफ़ करना सह़ीह़ न होगा।

१९- महिला किसी भी कपड़े में इह़राम की नियत कर सकती है, शर्त़ केवल यह है कि मर्दों के सदृश (मुशाबिह) न हो और बेपर्दगी व ज़ीनत के लिए ग़ैर शरई़ लिबास न पहने।

२०- ह़ज्ज और उ़म्रह के अ़लावा किसी भी दूसरी इ़बादत में नियत को शब्दों में अदा करना

बिदअ़त है और उँची आवाज़ में अदा करना तो और भी बुरा है।

२१- वयस्क (बालिग़) मुसलमान के लिए ह़राम है कि बिना इह़राम के मीक़ात से आगे बढ़े (अगर उसने ह़ज्ज या उ़म्रह की नियत की है)।

२२- जो ह़ाजी या उ़म्रह करनेवाले हवाई जहाज़ से आते हैं वह मीक़ात के सामने से गुज़रते समय इह़राम बाँधेंगे। लेकिन मीक़ात के बराबरी से पहले सारी तैयारी कर लेंगे। जहाज़ में सो जाने या भूल जाने के डर से मीक़ात से पहले ही इह़राम बाँध लें तो भी कोई ह़रज नहीं।

२३- कुछ लोग ह़ज्ज के बाद तन्ईम या जेइ़र्राना से अधिकाधिक (बकस्रत) उ़म्रह करते हैं। ह़ालाँकि उसके जायज़ होने का कोई शरई़ प्रमाण मौजूद नहीं।

२४- ह़ाजी साह़ेबान आठ तारिख़ को मक्का मुकर्रमा में अपने अवस्थान स्थल (क़ियाम गाह) से

ही ह़ज्ज का इह़राम बाँध लेंगे। मीज़ाब के पास से इह़राम ज़रूरी नहीं, जैसा कि बहुत से लोग करते हैं।

२५- नौ तारिख़ को मिना से अ़रफ़ात के लिए रवानगी सूर्य उदय होने के बाद बेहतर है।

२६- सूर्यास्त से पहले अ़रफ़ा से वापसी जायज़ नहीं। सूर्यास्त के बाद वापसी के लिए रवानगी पूरे सुकून व इत्मीनान (शान्ति-प्रशान्ति) के साथ होनी चाहिए।

२७- मुज़्दलिफ़ा पहुँचने के बाद मग़रिब व इशा की नमाज़ें पढ़ी जायेंगी, चाहे मग़रिब का वक़्त बाक़ी हो या इशा का वक़्त शुरू हो चुका हो।

२८- कंकर समूह कहीं से भी लिए जा सकते हैं, मुज़्दलिफ़ा से लेना ज़रूरी नहीं।

२९- कंकरों को धोना मुस्तह़ब नहीं। इस लिए कि इसका सुबूत रसूले अक्रम ﷺ या सह़ाबा किराम से नहीं मिलता।

३०- दूर्बल महिलायें और बच्चे (और जो उनके हुक्म में हुँ) रात के आख़िरी पहर में मुज़्दलिफ़ा से मिना के लिए रवाना हो सकते हैं।

३१- हाजी जब ईद के दिन मिना पहुँचे तो जम्रा अक़बा की रमी के साथ लब्बैक कहना बंद कर दे।

३२- यह ज़रूरी नहीं कि कंकर फेंकी गई जगह में बाक़ी रहे, बल्कि केवल शर्त यह है कि उसके हुदूद (सीमा) में गिरे।

३३- विद्वानों के सहीह मतानुसार कुर्बानी का समय अय्यामे तश्रीक़ (ज़ुल्हिज्जा महिना के ११, १२ व १३ वीं दिन अय्यामे तश्रीक़ कहलाते हैं) के तीसरे दिन सूर्यास्त तक है।

३४- तवाफ़े इफ़ाज़ा हज्ज का रुक्न है जिसके बिना हज्ज पूरा नहीं होता, लेकिन अय्यामे मिना (मिना के दिनों) तक उसकी ताख़ीर (विलम्ब) जायज़ है।

३५- ह़ज्जे इफ़्राद और ह़ज्जे क़िरान करनेवाले पर केवल एक सई़ वाजिब है।

३६- ह़ाजी के लिए बेहतर है कि वह क़ुर्बानी के दिन के कामों में अनुक्रम (तर्तीब) का ख़याल रखे। पहले जम्रा अ़क़बा की रमी करे, फिर सिर के बाल मुंडवाये या कटवाये, फिर अल्लाह के घर का तवाफ़ करे और इसके बाद सई़ करे। अगर इन कामों में तक़्दीम व ताख़ीर (आगे-पीछे) हो जाये तो कोई ह़रज नहीं।

३७- वह काम जिनको कर लेने के बाद ह़ाजी पूरे तौर पर ह़लाल हो जाता हैः

(१) जम्रा अ़क़बा की रमी, (२) सिर के बाल मुंडवाना या कटवाना, (३) तवाफ़े ज़ियारत (इफ़ाज़ा) और सई़।

३८- अगर ह़ाजी मिना से जल्दी वापस आना चाहता है तो बारह तारीख़ को सूर्यास्त से पहले ही मिना से निकल जाये।

३९- जो बच्चा रमी न कर सकता हो उसके बदले उसका अभिभावक (अपनी रमी कर लेने के बाद) करेगा।

४०- अगर कोई आदमी बीमारी या बुढ़ापे या किसी और सबब से रमी करने से असमर्थ (आ़जिज़) हो तो किसी को प्रतिनिधि बना दे।

४१- प्रतिनिधि (वकील या नाइब) के लिए यह जायज़ है कि एक ही वक़्त में पहले अपनी रमी करे फिर उसकी जिसका वह प्रतिनिधि है।

४२- अगर ह़ाजी क़िरान या तमत्तुअ़ करनेवाला है और मक्का मुकर्रमा का निवासी (बाशिन्दा) नहीं है तो उस पर क़ुर्बानी वाजिब है। (एक बक्री, अथवा गाय या उँट का सप्तमांश)।

४३- अगर क़िरान या तमत्तुअ़ करनेवाले के पास क़ुर्बानी के पैसे न हुँ तो तीन दिन ह़ज्ज के दिनों में रोज़े रखे और सात रोज़े वापस घर पहुँच जाने के बाद।

४४- बेहतर यह है कि तीनों रोज़े अ़रफ़ा के दिन से पहले ही रख लिये जायें, ताकि अ़रफ़ा के दिन रोज़े की ह़ालत में न रहे। अगर पहले न रख सका तो अय्यामे तश्रीक़ में रख ले।

४५- उपर्युक्त (मज़्कूरा) तीनों रोज़े निरंतर (लगातार) और अलग अलग भी रखे जा सकते हैं मगर अय्यामे तश्रीक़ गुज़र जाने तक उन्हें विलम्बित (मुअख्ख़र) नहीं करना चाहिए। इसी तरह़ बाक़ी सात रोज़े भी लगातार और अलग अलग रखना दुरुस्त है।

४६- ह़ैज़ और निफ़ास वाली औ़रत के अ़लावा तवाफ़े विदाअ़ हर ह़ाजी पर वाजिब है।

४७- मस्जिदे नबवी ﷺ की ज़ियारत मस्नून है चाहे ह़ज्ज से पहले करे या उसके बाद या साल के किसी भी दिन।

४८- मस्जिदे नबवी ﷺ की ज़ियारत करनेवाला पहले मस्जिद में किसी भी जगह दो रक्अ़त तह़िय्यतुल मस्जिद (मस्जिद की सलामी नमाज़) अदा

करे। और बेहतर यह है कि यह दोनों रक्अ़तें रौज़ा शरीफ़ में अदा करे।

४९- रसूल ﷺ की क़ब्र की ज़ियारत और दूसरी क़ब्रों की ज़ियारत केवल मर्दों के लिए जायज़ है, औरतों के लिए नहीं, लेकिन इस शर्त के साथ कि सफ़र क़ब्र की ज़ियारत कि नियत से न हो।

५०- ह़ुज्रा शरीफ़ को छुना, उसको बोसा देना या उसका तवाफ़ करना बहुत बुरी बिद्अ़त है जिसका सुबूत अस्लाफ़े किराम से नहीं मिलता। और अगर तवाफ़ का मक़्सद रसूलुल्लाह ﷺ की क़ुर्बत (निकटता) ह़ासिल करनी हो तो बड़ा शिर्क है।

५१- रसूले अक्रम ﷺ से किसी बात का सवाल करना (कुछ मांगना) शिर्क है।

५२- रसूले अक्रम ﷺ की ज़िंदगी (जीवन) क़ब्र में बर्ज़ख़ी ज़िंदगी है, मौत (मृत्यु) से पहले जैसे ज़िंदगी नहीं। उसकी ह़क़ीक़त व कैफ़ियत का इ़ल्म सिर्फ़ अल्लाह ही को है।

५३- कतिपय ज़ियारत करनेवाले रसूलुल्लाह ﷺ की क़ब्र की तरफ़ रुख़ करके दोनों हाथों को उठाकर दुआ करते हैं, ऐसा करना सरासर बिद्अ़त है।

५४- रसूल ﷺ की क़ब्र की ज़ियारत न वाजिब है और न ही ह़ज्ज की पूर्णता (तक्मील) के लिए शर्त़ है जैसा कि कुछ लोग समझते हैं।

५५- जिन ह़दीसों से कतिपय लोग केवल रसूल ﷺ की क़ब्र की ज़ियारत के लिए सफ़र करने की मश्रूइयत पर (शरीअ़त सम्मत होने पर) दलील लेते हैं, या तो वह ज़ईफ़ (कमज़ोर) हैं या मौज़ूअ़ (मनघड़ंत) हैं।

कतिपय दुआ

निम्नलिखित दुआ समूह अथवा उनमें से जो संभव हो, अ़रफ़ा व मुज़दलिफ़ा एवं दुआ के अन्य (दीगर) स्थानों में पढ़ना चाहिए।

۞اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي. اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي, وَآمِنْ رَوْعَاتِي, اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي, وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي, وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

۞اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

۞اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

۞اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

۞اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَمِنْ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

۞اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ هَذَا الْيَومِ صَلاَحاً وَأَوسَطَهُ فَلاَحاً وَآخِرَهُ نَجَاحاً، وَأَسْأَلُكَ خَيْرَيْ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

۞اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرِّضَى بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوتِ، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ، وَالشَّوقَ إِلَى لِقَاءِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءِ مُضِرَّةٍ، وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَعْتَدِيَ أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ، أَوْ أَكْتَسِبَ خَطِيْئَةً أَوْ ذَنْباً لاَ تَغْفِرُهُ.

۞اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ. اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ.

۞اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِيْنِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ القَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ والذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ و أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ

وَالْفُسُوقِ والشِّقَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبُكْمِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّئِ الأَسْقَامِ.

۞اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا.

۞اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَدَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.

۞اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَلِمْتُ وَ مِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْلَمْ.

۞اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ.

۞اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَالتَّرَدِّي وَمِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرِيقِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ طَمَعٍ يَهْدِي إِلَى طَبَعٍ.

۞اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَدْوَاءِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الْعَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ.

۞اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ, رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي.

۞اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي ذَكَّارًا لَكَ، شَكَّارًا لَكَ، مِطْوَاعًا لَكَ، مُخْبِتًا إِلَيْكَ، أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي ، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي.

۞اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ.

۞اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي وَقِنِي شَرَّ نَفْسِي.

۞اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ مِنْهَا غَيْرَ مَفْتُوْنٍ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ.

۞اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ، وخَيْرَ الدُّعَاءِ، وَخَيْرَ النَّجَاحِ، وَخَيْرَ الثَّوَابِ، وَثَبِّتْنِي وثَقِّلْ مَوَازِيْنِي، وَحَقِّقْ إِيْمَانِي، وَارْفَعْ دَرَجَتِي، وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي، وَاغْفِرْ خَطِيْئَاتِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ.

۞اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ، وَخَوَاتِمَهُ، وَجَوَامِعَهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ.

۞اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرفَعَ ذِكْرِي، وَتَضَعَ وِزْرِيْ، وَتُطَهِّرَ قَلْبِي، وَتُحَصِّنَ فَرْجِي، وَتَغْفِرَ لِيْ ذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ.

۞اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ فِي سَمْعِي، وَفِي بَصَرِي، وَفِي رُوْحِي، وَفِي خَلْقِي، وَفِي خُلُقِي، وَفِي أَهْلِي، وَفِي مَحْيَايَ، وَفِي عَمَلِي، وَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِي، وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ.

۞اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ.

۞اللَّهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ، يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ، صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ.

۞اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا.

۞اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ.

۞اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهَا الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ وَلَا يَرْحَمُنَا.

۞اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ وَالْفَوزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.

۞اللَّهُمَّ لاَ تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلاَ عَيْباً إِلاَّ سَتَرتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلاَ دَيْناً إِلاَّ قَضَيْتَهُ، وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ هِيَ لَكَ رِضًا وَلَنَا صَلاَحٌ إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

۞اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي وَتَلُمُّ بِهَا شَعْثِي وَتَحْفَظُ بِهَا غَائِبِي وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُبَيِّضُ بِهَا وَجْهِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي وَتَرُدُّ بِهَا الْفِتَنَ عَنِّي وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ.

۞اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ يَومَ الْقَضَاءِ، وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ وَمَنْزِلَ الشُّهَدَاءِ، وَمُرَافَقَةَ الأَنْبِيَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ.

۞اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صِحَّةً فِي إِيْمَانٍ وَإِيْمَانًا فِي حُسْنِ خُلُقٍ، وَنَجَاحاً يَتْبَعُهُ فَلاَحٌ، وَرَحْمَةً مِنْكَ وَعَافِيَةً مِنْكَ وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضْوَاناً.

۞اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَةَ وَالْعِفَّةَ، وَحُسْنَ الْخُلُقِ، وَالرِّضَا بِالْقَدَرِ.

۞اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

۞اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلاَمِي، وَتَرَى مَكَانِي وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلاَنِيَتِي، وَلاَ يَخْفَى عَلَيْكَ شَيءٌ مِنْ أَمْرِي وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيْرُ، وَالْمُسْتَغِيْثُ الْمُسْتَجِيْرُ، وَالْوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ إِلَيْكَ بِذَنْبِهِ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِيْنِ، وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ، وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيْرِ، دُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ، وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ، وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.